सं. 01/162/2016-सतर्कता /1165

सतर्कता विभाग/Vigilance Department

राष्ट्रीय फैशन प्रोद्योगिकी संस्थान/National Institute of Fashion Technology

नई दिल्ली/New Delhi – 110 016.

कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM

****

दिनांक: 03 जुलाई, 2018

विषय:- मनोनयन के आधार पर बाहरी स्रोत से सेवाएं प्राप्त करना।

Sub: Outsourcing of services on nomination basis – reg.

यह पाया गया है कि कुछ निफ्ट केन्द्रों में सामान्य वित्तीय नियमावली में उल्लेखीत प्रावधानों का पालन किए बिना हीं मनोनयन के आधार पर बाहरी स्रोत से सेवाएं प्राप्त की जा रही है।

It has been noticed that some NIFT Campuses are outsourcing services on nomination basis without following the procedure mentioned in the General Financial Rules (GFR).

2. सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 204 के अनुसार किसी अपवादात्मक परिस्थिति में जब किसी विशेषरूप से चिन्हित ठेकेदार से गैर-परामर्श सेवा लेना आवश्यक हो जाए, तो मंत्रालय/विभाग में सक्षम प्राधिकारी अपने वित्तीय सलाहकार के परामर्श पर ऐसा कर सकते है। ऐसे प्रकरणों में, विस्तृत तर्कसंगतता, चयनात्मकरूप से प्रबंध करने के लिए विवश होने वाली परिस्थितियॉ तथा विशेष हित को, प्रस्ताव का आधारभूत हिस्सा बनाना होगा।

As per Rule 204 of General Financial Rules, 2017, in an exceptional situation when it becomes necessary to procure a non-consulting service from a specifically chosen contractor, the Competent Authority in the Ministry or Department may do so in consultation with the Financial Adviser. In such cases, the details justification, the circumstances leading to such procurement by choice and the special interest or purpose it shall serve, shall form an integral part of the proposal.

जारी/Cont'd.....2/-

3. चूंकि प्रत्येक केन्द्रों के उप निदेशक (वित्त एवं लेखा) [पूर्व में उप पंजीयक (वित्त एवं लेखा) के रूप में जाने जाते थे] वित्त सलाहकार की तरह कार्य करते हैं, अतः उन्हें संबंधित केन्द्र के वित्तीय बुद्धिमानी, व्यय प्रबंधन तथा सामान्य वित्तीय नियमावली के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना होगा।

As the Deputy Directors (F&A) [previously designated as Deputy Registrars (F&A)] of each NIFT Campuses functions like Financial Advisers, they are required to ensure financial prudence, expenditure management and implementation of General Financial Rules in their respective Campuses.

4. उपरोक्त के आलोक में, सभी उप निदेशक (वित्त एवं लेखा) जब मनोनय के आधार पर बाहरी स्रोत से सेवाएं प्राप्त करने वाले प्रस्तावों पर अपनी सहमति दे रहे हों, उस समय सामान्य वित्तीय नियमावली में उल्लेखीत सभी शर्तों की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

In view of above, all Deputy Directors (F&A) will be responsible for ensuring fulfilment of all conditions of GFR while concurring with the proposal for outsourcing of services on nomination basis.

(सुषमा सिंह/Sushma Singh)
मुख्य सतर्कता अधिकारी/Chief Vigilance Officer

सभी निफ्ट केन्द्रों के उप निदेशक (वित्त एवं लेखा)/Deputy Directors (F&A) of all NIFT Campuses

प्रति/Copy to:

1. निदेशक (वित्त एवं लेखा) निफ्ट मुख्यालय/Director (Finance), NIFT HO
2. सभी निफ्ट केन्द्रों के निदेशक/Directors of all NIFT Campuses
3. पंजीयक, निफ्ट मुख्यालय/Registrar, NIFT HO
4. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी/Director, IT – निफ्ट की बेवसाईट के सतर्कता कॉर्नर पर उलब्ध कराने हेतु/For uploading under "Vigilance Corner" on the website of NIFT